मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4484
27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

टोंक और सवाई माधोपुर में झुग्गियों में रहने वालों की संख्या

4484. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने टोंक और सवाई माधोपुर में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन जिलों में क्रियान्वित की गई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आवास प्राप्त/आबंटित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारत की जनगणना में देश में दशकीय आधार पर स्लमवासियों सहित जनसंख्या की गणना की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार टोंक और सवाई माधोपुर सहित देश भर में 1.39 करोड़ परिवारों के कुल 6.54 करोड़ लोग स्लम बस्तियों में रह रहे थे। देश में स्लम बस्तियों की संख्या के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। 69वें दौर के सर्वेक्षण के दौरान 2012 में एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए स्लम बस्तियों के अंतिम आंकड़े के अनुसार, देश में स्लम बस्तियों की अनुमानित संख्या 33,510 है, जिसमें टोंक और सवाई माधोपुर सहित 13,761 अधिसूचित स्लम बस्तियां और 19,749 गैर-अधिसूचित स्लम बस्तियां शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों के अलावा, सरकार द्वारा स्लम बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर कोई हालिया अध्ययन नहीं कराया गया है।

'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवास और स्लम पुनर्वास से संबंधित योजनाएं राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि स्लमवासियों सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। पात्र लाभार्थी उपलब्ध चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को आवश्यकता और पात्रता मानदंड के अनुसार किसी भी घटक के तहत लाभ उठाने की छूट प्रदान की गई है। पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक विशेष रूप से पात्र स्लम निवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके स्लम के पुनर्विकास के लिए है। हालांकि, स्लम निवासी किसी भी एक घटक के तहत लाभ ले सकते हैं।

पीएमएवाई-यू मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसमें कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीक़ृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और अनुमादित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.73 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 91.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/17.03.2025 तक देश भर के शहरों में स्लम बस्तियों सहित लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। योजना के तहत स्वीकृत कुल आवास में से, राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटक के तहत स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिए लगभग 29 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएवाई-यू के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के कोई और प्रस्ताव लंबित नहीं है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसमें चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से स्लमवासियों सहित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को शामिल किया गया है। पात्र स्लमवासी पीएमएवाई-यू 2.0 के किसी भी घटक का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** के माध्यम से देखा जा सकता है।

*****